Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to take measure for safeguard women and child in Rajasthan keeping in view the sexual crime committee against them in recent times.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति जी, आज मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ ।

राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे गम्भीर अत्याचार और घोर अपराध, अभी-अभी जो झालावाड़ में हुआ, एक 15 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार का कांड हुआ । ऐसे जघन्य अपराध के लिए राजस्थान सरकार के कान भी नहीं खुल रहे हैं और न ही उनकी आँखें खुल रही हैं । ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत ही अफसोस है कि राजस्थान में एक नहीं, बल्कि अनेक जगहों पर ऐसे अत्याचार हुए । मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत छोटा है, यह मात्र आठ विधान सभाओं का क्षेत्र है, जहाँ महिलाओं और बेटियों के खिलाफ 23 कांड हुए, जो जघन्य अपराध थे, लेकिन उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया ।

इसके साथ ही, मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में एक साल में छः लाख 14 हजार मामले दर्ज हुए । जिनमें से 80 हजार एफआईआर केवल महिलाओं और बालिकाओं के कारण हुई हैं । मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि यदि रेप के केसेज देखें जाएं, तो ये 12 हजार हैं । ऐसी स्थिति में, यदि हम कहें कि राजस्थान महिलाओं और बालिकाओं के अत्याचारों का स्टेट हो गया है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

माननीय सभापति जी, राजस्थान में जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, इससे मुझे अफसोस होता है । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है ।

आपको ध्यान होगा कि कोटा में भी जिस तरह के अत्याचार हुए थे और जब 24 घंटे के अन्दर सोलह-सोलह बच्चों की मौत हो गई थी, उनमें बेटियाँ कितनी थीं? जब उसकी बात आई, तो केवल लीपा-पोती कर दी गई ।

मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान की सरकार जिस तरह से महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले अत्याचारों को सहन कर रही है, इन पर कोई-न-कोई संज्ञान जरूर लेना चाहिए ।